# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 32/2020

1.पप्पू पुत्र रंगलाल
2.रामस्वरूप पुत्र भौरया
3.कमलेश पुत्र लच्छा
4 गिर्राज पुत्र लाला
5 किशोर पुत्र घीस्या
6 रामराज पुत्र मंगल्या
7 हरि पुत्र गेन्दया
8 रामनारायण पुत्र मूडया
9 मुरारी पुत्र चिरंजी
10 रामोतार पुत्र छीतरया

} जाति खारवाल निवासी ग्राम बैराड़ा तह0 बामनवास

अपी0

बनाम

1.रामसहाय पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैराडा तहसील बामनवास
2.सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 24/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपी0 की ओर से श्री मो0 इस्लाम खान
2. रेस्पो0 की ओर से श्री हर्षवर्धन शर्मा

**निर्णय** **दिनांक 03.03.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपी0 की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 24/17 निर्णय दिनांक 05.07.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वादपत्र बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि वादी/रेस्पो0 ... बैराडा, तहसील बामनवास का स्थाई निवासी है जो भूमिहीन कृषक की श्रेणी में ... था इसी कारण वादी/रेस्पो0 को दिनांक 21.02.1991 को एडवाईजरी कमेटी द्वारा ... 261 में से रकवा 1.25 हैक्टेयर भूमि ग्राम बैराडा तहसील बामनवास में वादी/रेस्पो0 को आवंटित कर दी और उक्त भूमि के आवंटन का पट्टा भी वादी/रेस्पो0 के पक्ष में जारी कर दिया गया, तभी से उक्त भूमि पर वादी/रेस्पो0 का निरन्तर कब्जा बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा है। वादी/रेस्पो0 को आवंटित की गई भूमि का तरमीमी ख.नं. 1947/261 रकबा 1.25 हैक्टेयर कायम किया जाकर वादी/रेस्पो0 के हक में गैरखातेदारी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

नामान्तकरण भी तस्दीक कर दिया गया। वादी को उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात् तहसीलदार बामनवास ने वादी/रेस्पो0 को हुए आवंटन के विरूद्ध धारा 14(4) आवंटन नियमों के अंतर्गत ए.डी.एम के यहां आवंटन निरस्ती बावत् प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 27.02.1993 को न्यायालय ए.डी.एम करौली शिविर गंगापुर सिटी द्वारा वादी/रेस्पो0 का आवंटन निरस्त कर दिया गया। हाल ख.नं. 261 साबिक ख.नं. 111 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा गैरमुमकिन तलाब तथा ख.नं. 125 गैरमुमकिन बंजड से बना है। ख.नं. 261 का कुल रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा है जिसमें 03 बीघा 17 बिस्वा तलाब की भूमि थी जो आवंटन योग्य नहीं थी, शेष भूमि आवंटन योग्य थी, राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2001 में भी यह माना है कि हाल ख.नं. 261 का रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा आवंटन योग्य नहीं है और शेष रकबा आवंटन योग्य है। उक्त निर्णय की पालना में हाल ख.नं. 261/1947 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 0.68 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन तलाब में दर्ज कर दी और 0.63 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन बंजड दर्ज कर दी और इस इस प्रकार यह 0.63 हैक्टेयर भूमि आवंटन योग्य भूमि है, जिसको राजस्व अपील प्राधिकारी ने आवंटन योग्य मानकर उक्त भूमि पर वादी/रेस्पो0 का अधिकार माना है परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के बावजूद भी उक्त भूमि का इन्द्राज गैरखातेदारी वादी/रेस्पो0 के हक में नहीं किया जबकि उक्त भूमि पर वादी/रेस्पो0 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 04.05.2017 को वादी/रेस्पो0 ने प्रतिवादी से राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार वादी/रेस्पो0 के हक में खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया। वादी/रेस्पो 0 के आवंटन को 10 साल से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए वादी/रेस्पो0 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण गलत इन्द्राज हो जाने के कारण प्रतिवादी आये दिन वादी/रेस्पो0 के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में व्यवधान पैदा करता रहता है, इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ। दावा दुरूस्ती इन्द्राजात व घोषणा खातेदारी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया एवं दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0 द्वारा धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, यह अपील पेश कि गयी।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपी0 के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से खारिज होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नही फरमाया कि भूमि ख.नं. 1947/261 गैरमुमकिन तालाब की भूमि है जिसमें ... से ग्राम पंचायत द्वारा समय-समय पर मिट्टी खुदाई गई तथा मौके ... तालाब बनाया गया। तालाब की भूमि का आवंटन अब्दुल रहमान ... रिट याचिका से बाधित ..., इस आधार पर तालाबी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता ... ए.डी.एम द्वारा सही रूप से खारिज किया गया था तथा अपील में भी ... अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.06.2001 में केवल अपीलार्थी को प्राथमिकता के आधार पर अस्थाई आवंटन करने की सिफारिश की है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

के आदेश की अवहेलना करते हुये भूमि ख.नं. 1947/261 रकबा 63 ऐयर को रेस्पो0 संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दे दिए जबकि अपीलेट कोर्ट का निर्णय केवल अस्थायी आवंटन करने का था। उक्त भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। अपीलार्थीगण तथा गांव के अन्य व्यक्तियों के मवेशी इसी तालाव में पानी पीते है तथा गांव की जनता इसी तालाब में सदियों से नहाती चली आ रही है, इसलिये अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अपीलार्थीगण के हित प्रभावित होते है। सरकारी भूमि पर 10 वर्ष के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। यह विधि संगत नहीं है। अपीलार्थीगण अपना कोई मालिकाना हक क्लेम नही कर रहे है। अपीलार्थीगण व गांव के अन्य व्यक्तियो ने भी तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि वह अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील पेश करे लेकिन तहसीलदार द्वारा अपील पेश नहीं की गयी। अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.07.2017 की जानकारी रेवन्यू रिकार्ड दिनांक 22.06.2020 को प्राप्त करने से हुई है। अपी0 द्वारा जानकारी के अभाव में नियत समयावधि में अपील पेश नहीं करने हेतु जानकारी न होने का समुचित कारण रहा है, फिर भी अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में चले दावे में पक्षकार नहीं थे लेकिन अपीलार्थीगण व्यथित व्यक्ति है। इसलिये धारा 96 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से परमीशन लेकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। पूर्व न्यायिक दृष्टांत 1991 आर.आर.डी. पेज 01 प्रस्तुत किया।

4. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने बहस अपील में तर्क प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया कि रेस्पो0 ग्राम बैराडा, तहसील बामनवास का स्थाई निवासी है जो भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है, इसी कारण रेस्पो0 को दिनांक 21.02.1991 को एडवाईजरी कमेटी द्वारा ख.नं. 261 में से रकवा 1.25 हैक्टेयर भूमि ग्राम बैराडा तहसील बामनवास में रेस्पो0 को आवंटित कर दी गई और उक्त भूमि के आवंटन का पट्टा भी रेस्पो0 के पक्ष में जारी कर दिया गया, तभी से उक्त भूमि पर रेस्पो0 का निरन्तर कब्जा बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा है। रेस्पो0 को आवंटित की गई भूमि का तरमीमी ख. नं. 1947/261 रकबा 1.25 हैक्टेयर कायम किया जाकर रेस्पो0 के हक में गैरखातेदारी का नामान्तकरण भी तस्दीक कर दिया गया। वादी को उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात् तहसीलदार बामनवास ने रेस्पो0 को हुए आवंटन के विरूद्व धारा 14(4) आवंटन नियमों के अंतर्गत ए.डी.एम के यहां आवंटन निरस्ती बावत् प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 27.02.1993 को ए.डी.एम करौली शिविर गंगापुर सिटी द्वारा रेस्पो0 का आवंटन निरस्त कर दिया गया। हाल ख.नं. 261 साबिक ख.नं. 111 रकबा 03 बीघा 17 विस्वा गैरमुमकिन तलाब [illegible] बना है। ख.नं. 261 का कुल रकबा 08 बीघा 10 विस्वा है जिसमें 0[illegible] विस्वा तलाब की भूमि थी जो आवंटन योग्य नहीं थी, शेष [illegible] अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2001 में भी यह माना है कि [illegible] रकबा 03 बीघा 17 विस्वा आवंटन योग्य नहीं [illegible] योग्य है। उक्त निर्णय की पालना में हाल ख.नं. 261/1947 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 0.68 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन तलाब में दर्ज कर दी और 0.63 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन बंजड दर्ज कर दी और इस इस प्रकार यह 0.63 हैक्टेयर भूमि आवंटन योग्य भूमि है, जिसको राजस्व अपील प्राधिकारी ने आवंटन योग्य मानकर उक्त भूमि पर रेस्पो0 का अधिकार माना है



Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के बावजूद भी उक्त भूमि का इन्द्राज गैरखातेदारी रेस्पो0 के हक में नहीं किया, जबकि उक्त भूमि पर रेस्पो0 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 04.05.2017 को रेस्पो0 ने प्रतिवादी से राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार रेस्पो0 के हक में खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया। रेस्पो0 के आवंटन को 10 साल से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए रेस्पो0 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण गलत इन्द्राज हो जाने के कारण प्रतिवादी आये दिन रेस्पो0 के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में व्यवधान पैदा करता रहता है, इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ। दावा दुरूस्ती इन्द्राजात व घोषणा खातेदारी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया एवं दावा डिक्री किये जाने का इस्तदुआ की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधिपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। दफा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अतः अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। तलाई की भूमि मानकर जनहित में अपील करना बताया है जबकि भूमि गैर मुमकीन बंजड है। अतः अपीलार्थीगण का धारा 96 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 370/2000 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 26.06.2001 में निर्णित किया है कि "अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दिनांक 27.02.1993 के निर्णय में जो निर्देश उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर, अस्थायी आवंटन के दिये है, उनमें संशोधन करते हुए उक्त आराजी का अस्थायी आवंटन प्राथमिकता के आधार पर अपीलांट को नियमानुसार किया जावे।" इस आदेश की अपील की गयी है ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आदेश के उपरांत भूमि का आवंटन किया गया है ऐसा दस्तावेज भी पत्रावली पर नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2017 को वाद संख्या 24/2017 बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा को डिक्री कर रेस्पो0 को आराजी खसरा नम्बर 1947/261 रकबा 0.63 है0 ग्राम बैराडा का खातेदार काश्तकार घोषित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.06.2001 में अस्थायी आवंटन प्राथमिकता के आधार पर रेस्पो0 को नियमानुसार किया जावे से आदेशित किया था। इस आदेश भिन्न अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश किया है। दिनांक 26.06.2001 के आदेश के विरूद्ध या तो अपील उच्चतर न्यायालय में प्रस्तुत की जाती या नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर आवंटन हेतु आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष प्रकरण को रखा जाकर कार्यवाही की जाती। दोनो ही स्थिति में न्यायालय उप जिला कलेक्टर, को अधिकारिता क्षेत्र नहीं है। अपीलाधीन आदेश जारी करते समय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.06.2001 का आदेश मोजूद था क्योंकि यह स्पष्टतया वाद पत्र में उल्लेखित किया है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है। यह त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में विवेचित किया है कि "आवंटन के समय से ही वादी का उक्त भूमि पर काब्जा काश्त चला आ रहा है जो करीब 10 साल से अधिक का हो चुका है।" "ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर वादी का लम्बे समय से कब्जा भी साबित होता है।" इससे प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न प्रकट होता है। प्रतिकूल कब्जे के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है। इस आदेश के निर्देशों का उल्लेख भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। इससे भी अपीलाधीन आदेश में विधिक त्रुटि दृष्टव्य होती है। इसलिए अपील प्रतिप्रेषित करने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का मु0नं0 24/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण विचारणीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकार का पूर्ण विवेचन करते हुए व प्रतिकूल कब्जे के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित नवीनतम आदेश को मध्य नजर रखते हुए, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत आदेश पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास के यहॉ दिनांक 15.04.2021 को उपस्थित होवे।

10. निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.3.21

(बी.एल. रमण)

राजस्व अपील प्राधिकारी

सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.24 16:03:25 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner